भारत का निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 509/75/2004/जे.एस.-I/खण्ड-III/आरसीसी/ दिनांक : 21 नवम्बर, 2008

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
ए-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

(सुश्री जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव कृपया ध्यान दें)

विषय : रेडियो पर राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापन प्रसारित करने के संबंध में।

महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के पत्र सं. 1/04/2004-बीसी/IV जो आयोग को आज ही प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करने का निदेश दिया गया है।

आयोग ने आदर्श आचार संहिता जारी रहने की अवधि के दौरान रेडियो पर राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों/अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण से पहले आयोग के दिनांक 15.04.2004 के आदेश के तहत गठित की गई समितियों से जांच करने के संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश की प्रति संलग्न है। इसे सभी रेडियो चैनलों को अनुपालनार्थ सूचित किया जाए।

भवदीय,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

भारत का निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 509/75/2004/जे.एस.-I/खण्ड-III/आरसीसी/ दिनांक : 21 नवम्बर, 2008

आदेश

विषय : टीवी चैनलों और केबल टीवी नेटवर्क पर राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापनों को प्रसारित करने के संबंध में आयोग का दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश - इसका रेडियो प्रसारण तक विस्तार करना।

1. माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जैमिनी टीवी और अन्य) के मामले में दिनांक 13.04.2004 के आदेश के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के अपने आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-I के जरिए टीवी चैनलों और केबल टीवी नेटवर्क पर राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापन प्रसारित करने के संबंध में निदेश जारी किए हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र संख्या 1/04/2004-बीसी.IV के जरिए यह सूचित किया है कि आकाशवाणी से संबंधित वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के खण्ड-II(4) को निम्नलिखित परंतुक जोड़कर इस प्रकार संशोधित किया गया है :-

> "परंतु आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान लोक सभा के आम चुनावों/राज्य विधान सभाओं के आम चुनाव/स्थानीय निकायों के आम चुनाव के संबंध में किसी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/किसी अन्य व्यक्ति से निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने पर स्पॉट्स एंड जिंगल्स के रूप में विज्ञापन स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रकार के विज्ञापन लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग/भारत के निर्वाचन आयोग के तहत प्राधिकारी और स्थानीय निकायों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारण-पूर्व जांच की शर्त के अधीन होंगे।"

3. उपर्युक्त के मद्देनजर आयोग ने यह निदेश दिया है कि टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क पर राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापनों से संबंधित इसका दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश लोक सभा और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य विधान सभा के आम चुनाव के बारे में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान प्राइवेट एफएम चैनल सहित रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों पर भी लागू होगा। तदनुसार रेडियो पर राजनीतिक स्वरूप के किसी विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए इस प्रसारण को इसकी प्रसारण-पूर्व जांच करने तथा इसके प्रसारण की अनुमति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचक अधिकारी के कार्यालय में गठित की गई समिति को प्रमाणन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इस आवेदन को टीवी चैनल/केबल नेटवर्क पर विज्ञापन से संबंधित दिनांक 15.04.2004 के आदेश के जरिए यथा-निर्धारित फार्मेट में उस प्रस्तावित विज्ञापन के टेप/सीडी और सत्यापित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। विज्ञापन के प्रमाणन का फार्मेट भी दिनांक 15.04.2004 के आदेश के जरिए यथा-निर्धारित ही होगा। इन फार्मेटों में 'प्रसारण' में रेडियो पर विज्ञापन के उद्देश्यार्थ 'प्रसारण' का उल्लेख भी पढ़ा जाएगा।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विषय पर दिनांक 15.04.2004 के आदेश तथा इसके बाद जारी किए गए निदेश में यथा-निर्धारित सभी अन्य निदेश और शर्तें रेडियो पर राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापनों के मामले में भी लागू होंगी

भवदीय,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव